मूल दावा संख्या 67/2008
व उनवानी गुट्टा बनाम नाथू वगै0

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज0)

समक्ष पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस

रण नियमित वाद संख्या :– 67/2008 प्रस्तुति तिथि :– 12.11.2007

शीर्षक

ुट्टा
ोपी
ुत्रगण दुला जाति – अहीर निवासी – ग्राम महेशवास कलां तहसील – आमेर, जिला – जयपुर
राज.)

– वादीगण

बनाम

नाथूराम
मोदूराम
ुत्रगण भंवरराम जाति – अहीर निवासी – ग्राम महेशवास कलां तहसील – आमेर, जिला –जयपुर
(राज.)
मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमेर जिला–जयपुर (राज.)
तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक :– 06.04.2021

वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ग्राम महेशवास कलां तहसील – आमेर के खसरा नं. 333/1071 रकबा 0.18 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 333/ रकबा 1.85 हैक्टेयर के विषयगत हस्तगत वाद प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा के समक्ष मुख्यतः निम्नांकित अनुतोष याचित किये गये हैं।

(क) यह कि दावा बहक वादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नंबर 333/1071 रकबा 0.18 हैक्टेयर का वादीगण को खातेदारान काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर 333 रकबा 1.85 है0 में मुताबिक कब्जा शामिल किया जावे तदनुसार डिक्री जारी कर राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जावे।

(ख) यह कि दावा बहक वादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर ग्राम महेशवासकलां तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नंबर 333/1071 रकबा 0.18 है0 व 333 रकबा 1.85 है0 में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें और न ही अपने एजेंट, सर्वेंट से करावें, वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवें।

वादीगण द्वारा उपरोक्तानुसार वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी सं. [illegible] जरिये अधिवक्ता बाद तलबी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी सं. 3 तथा 4 बाद तामील [illegible] हुए। अतः उनके विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई आदेशित की [illegible] वादपत्र के विखडन हेतु विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर यह प्रकट किया [illegible] प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा प्रकरण के वा[illegible] के समक्ष वर्णित नहीं किया गया है। वादीगण का वाद प्रारम्भतः विधि बाधित है। ऐसी स्थिति में [illegible]–वादी सव्यय निरस्त किये जा[ने] योग्य है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्नांकित तनकीयात कायम की गई है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:05:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

1. आया ग्राम महेशवारा कलां तहसील आमेर जिला जयपुर में अवस्थित आराजीयात के संबंध मे पक्षकारान ने दिनांक 18.02.1984 को वरवक्त बंदोबस्त संशोधन पत्र द्वारा विभाजन किया जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 333/1071 शामिल थी,तथा उस बंटवारे में प्रतिवादीगण के सहमति थी ?

– वादीगण

2. आया भू प्रबंध विभाग मे सहमति से किये गये बंटवारे के पश्चात खसरा नंबर 333/1071 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम गलत दर्ज की है जिसे वादीगण दुरुस्ती एवं घोषणा कराने के अधिकारी है ?

– वादीगण

3. आया वादीगण ग्राम महेशवारा कलां तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नंबर 333/1071 रकबा 0.18 है0 के काबिज खातेदार काश्तकार है, इस आशय की घोषणा कराने के अधिकारी है ?

– वादीगण

4. आया वादीगण आराजी खसरा नंबर 333/1071 रकबा 0.18 है0 व खसरा नंबर 333 रकबा 1.85 है0 वाके ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर के विषय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है ?

– वादीगण

5. आया वादीगण प्रस्तुत वाद के लिए वाद कारण दिनांक 18.10.2007 को उत्पन्न हुआ है ?

– वादीगण

6. आया वादीगण वाद डुप्लीकेट प्रति में प्रस्तुत नही किया है इसलिए वाद बार्ड बाई लॉ होने से अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 में खारिज होने योग्य है ?

– प्रतिवादीगण

7. आया वाद का सत्यापन कानूनी प्रावधानों के अनुसार न होने से खारिज योग्य है ?

– प्रतिवादीगण

8. आया वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की किसी भी धारा में खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है, तथा प्रस्तुत वाद उक्त अधिनियम की किसी भी धारा में कवर नहीं होता है। वाद बार्ड बाई लॉ है व खारिज योग्य है ?

– प्रतिवादीगण

9. आया भू प्रबंध विभाग का तथाकथित आदेश दिनांक 18.02.1984 क्षेत्राधिकार विहिन होने से एबीनिशिओ नल एण्ड वोईड है ?

– प्रतिवादीगण

10. दादरसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:05:35 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा स्वयं के वादपत्र के समर्थन में ... परीक्षित करवाया गया है:–

(i) गुट्टा पुत्र दुला जाति अहीर निवासी ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर
(ii) गोपीराम पुत्र दुला जाति अहीर निवासी ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर
(iii) भूरा पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी कुला की ढाणी महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

(iv) जगदीश प्रसाद यादव पुत्र स्व0 नानूराम यादव निवासी ग्राम महेशवारा कलां तहसील आमेर जिला जयपुर
(v) मोहनलाल पुत्र श्योबक्श जाति जाट निवासी श्योबक्श पलसानिया की ढाणी महेशवारा कलां तहसील आमेर जिला जयपुर

एवं वादी द्वारा दौराने विचारण निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं

(i) जमाबंदी खाता 39 संवत 2062 से 2065 ग्राम महेशवारा कलां तहसील आमेर
(ii) फोटोप्रति पर्चा खतौनी भू प्रबंध
(iii) जमाबंदी खाता 91 संवत 2062-2065 ग्राम महेशवारा कलां तहसील आमेर
(iv) हाल नक्शा खसरा नंबर 333, 333/1071, 332 ग्राम महेशवारा कलां तहसील आमेर
(v) नक्शा मत खसरा नंबर 181, 182, 173, 183 ग्राम महेशवारा कलां तहसील आमेर
(vi) मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नंबर 333, 334, 333/1071 ग्राम महेशवारा कला तहसील आमेर
(vii) नकल खसरा परिशोधन बंदोबस्त विभाग दिनांक 18.02.84 ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर

तत्पश्चात् प्रतिवादीगण की ओर से निम्नांकित साक्षीगण का न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया :-

(i) बोदूराम पुत्र भंवरराम जाति अहीर निवासी ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर
(ii) केशव छत्रपति पुत्र रघुनाथ जाति बलाई निवासी ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर

एवं प्रतिवादीगण की ओर से निम्नांकित दस्तावेज न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किये गए हैं-

(i) प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2025-2028
(ii) फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 12.04.1982
(iii) प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल हाल
(iv) प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2062-65

तत्पश्चात् उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा विरचित तनकियों के विषयगत क्रमवार विवेचन निम्नांकित प्रकार से हैं :-

तनकी संख्या 1 :- आया ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर में आवस्थित आराजीयात के संबंध में पक्षकारान ने दिनांक 18.02.1984 को वरवक्त बंदोबस्त संशोधन पत्र द्वारा विभाजन किया जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 333/1071 शामिल थी,तथा उस बंटवारे में प्रतिवादीगण के सहमति थी?

— वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर हैं इस संदर्भ में वादीगण का कथन हैं कि खसरा नं. वाके ग्राम महेशवास कलां, तहसील आमेर का पूर्व रकबा 2 हैक्टेयर था जिसके खातेदार वादीगण थे। भू की कार्यवाहियों के दौरान भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त खसरा नंबर 333 कर रकबा कम कर नवीन ख.नं. /1071 कायम कर दिया गया हैं जो विधि अनुसार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भूप्रबंध की कार्यवाईयों के दौरान त गलतियों को शुद्ध किया जाना आवश्यक हैं। प्रकरण की पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज एवं संबंधित सीलदार आमेर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक स्थिति से भी यह तथ्य स्पष्ट हैं कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नं. का रकबा भूप्रबंध की कार्यवाहियों के दौरान कम किया गया था। जबकि इस बाबत कोई अधिकार भूप्रबंध ग को प्राप्त नहीं था। विधि अनुसार भूप्र... को ही पुनः राजस्व अभिलेख में अंकित किया जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में प्रकरण ... परिस्थितियों के अनुसार उपलब्ध गों के प्रकाश में तनकी संख्या 1 वादी के ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:05:35 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 2 :- आया भू प्रबंध विभाग ... के पश्चात खसरा नंबर 333/ 1071 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या ... 2 के नाम गलत दर्ज की है जिसे वादीगण दुरुस्ती एवं घोषणा कराने के अधिकारी है?

— वादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर भू. जयपुर

Scanned with CamScanner

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। न्यायालय हाजा की पत्रावली उपस्थित अभिलेख से यह स्थापित है कि भूप्रबंध की कार्यवाहियो से पूर्व खसरा नं 333 का रकबा 2 हैक्टेयर था। जिसे भूप्रबंध की कार्यवाईयो के दौरान घटाकर 1.85 हैक्टेयर कर दिया गया था तथा नवीन खसरा नं 333/1071 भूप्रबंध विभाग द्वारा सृजित कर प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 की खातेदारी मे दर्ज किया गया था। इस बाबत किसी भी सक्षम अधिकारी एव न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपस्थित नही है। भूप्रबंध विभाग द्वारा इस प्रकार की गई कार्यवाईया क्षेत्राधिकार विहीन है एव भूप्रबंध की कार्यवाईयो के दौरान कारित गल्तियो को शुद्ध करवाये जाने का वादीगण अधिकारी है। उक्तानुसार तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

iii) तनकी संख्या 3 व 4 : आया वादीगण ग्राम महेशवास कला तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नंबर 333/1071 रकबा 0.18 है0 के काबिज खातेदार काश्तकार है, इस आशय की घोषणा कराने के अधिकारी है ?

आया वादीगण आराजी खसरा नंबर 333/1071 रकबा 0.18 है0 व खसरा नंबर 333 रकबा 1.85 है0 वाके ग्राम महेशवास कला तहसील आमेर के विषय मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है?

— वादीगण

उक्त दोनों तनकियां वादी द्वारा याचित अनुतोषों से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से दोनों नकियो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। तनकी संख्या 3 व 4 को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन मे न्यायालय हाजा द्वारा यह अवधारित किया गया है कि भूप्रबंध की कार्यवाईयो में वादीगण की आराजीयात खसरा न. 333 रकबे में परिवर्तन किया गया था। जिसका कोई अधिकार प्रबंध विभाग को प्राप्त नहीं था। एसी स्थिति में भूप्रबंध की कार्यवाईयों को दुरूस्त करवाये जाने के लिए वादीगण उदघोषणा प्राप्ति के अधिकारी हैं एवं वादीगण के खाते की आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खाते अविधिक रूप से दर्ज हुई थी। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराने हेतु विधिक अधिकारी हैं। उक्तानुसार तनकी संख्या 3 व 4 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं. 5 :– आया वादीगण प्रस्तुत वाद के लिए वाद कारण दिनांक 18.10.2007 को उत्पन्न हुआ है?

— वादीगण

इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर है विधि अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद का वादकारण 18.10.2007 को उत्पन्न होना वादपत्र में अंकित किया गया है एवं इस तथ्य की पुष्टि वादी साक्ष्य में प्रमाणित की गई है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से इस संदर्भ में कोई विधिक आक्षेप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है एसी स्थिति में तनकी सं. 5 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं. 6 लगायत 9 :– आया वादीगण वाद डुप्लीकेट प्रति में प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए वाद बार्ड बाई लॉ होने से अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 में खारिज होने योग्य है ?

— प्रतिवादीगण

आया वाद का सत्यापन कानूनी प्रावधानों के अनुसार न होने से खारिज योग्य है ?

— प्रतिवादीगण

आया वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की किसी भी धारा में खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है, तथा प्रस्तुत वाद उक्त अधिनियम की किसी भी धारा में कवर नहीं होता है। वाद बार्ड बाई लॉ है [illegible] योग्य है ?

— प्रतिवादीगण

आया भू प्रबंध विभाग का तथाकथित आदेश [illegible] 1984 क्षेत्राधिकार विहिन होने से एबीनिशिओ नल एण्ड वोईड है ?

— प्रतिवादीगण

उक्त तनकियों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी सं. 6 लगायत 9 समस्त विधिक तनकीया है जिनके अनुसार प्रतिवादीगण को वादीगण का वाद विधिवर्जित हाने के तथ्य को न्यायालय के समक्ष स्थापित किया जाना था किन्तु इस संदर्भ में प्रतिवादीगण द्वारा कोई विधिक आधार एवं तथ्य न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:05:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत नही किये गये हैं। भूप्रबन्ध का कार्यवाईयों के दौरान किसी भी खातेदार के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन किये जाने का अधिकार भूप्रबन्ध विभाग को प्राप्त नहीं था एवं भूप्रबन्ध विभाग द्वारा स्वयं के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर कार्यवाईयां की गई थी जो कि इस न्यायालय के मत में अविधिक है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद किसी विधि द्वारा असंधारणीय हो, ऐसा कोई आधार प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति मे तनकी सं0 6 ता 9 साक्ष्य एवं तर्क के अभाव में प्रतिवादी सं 1 व 2 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 10 :-

यह तनकी अनुतोष से संबधित है एव न्यायालय हाजा द्वारा तनकी स. 3 एव 4 के निर्णय मे वादी को उद्घोषणा एव स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी माना गया है ऐसी स्थिति मे वादीगण विधिअनुसार उद्घोष एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। न्यायालय हाजा द्वारा उपरोक्तानुसार विवेचना में तनकी स. 1 ल. 5 का विवेचन वादीगण के पक्ष में तथा तनकी सं. 6 लगायत 9 प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया गया है। ऐसी स्थिति मे वादीगण का वाद डिकी किये जाने योग्य है।

आदेश

परिणामतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को खसरा नं. 333/1071 रकबा 0.18 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी गण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण आराजी खसरा नं. 333 एवं 333/1071 वाके ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर के वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई अवरोध/हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं करे।

उपरोक्तानुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाकर लिखाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर
सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:05:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner